

श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

प्रवेश कार्यक्रम : शैक्षणिक सत्र 2017-18

विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक विभागों (यू.टी.डी.) में संचालित विभिन्न कोर्सों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी निम्न तालिका अनुसार प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं।

BA, BBA, BCA, B.Sc., B.Com., MA, M.Sc., M.Com., PGDCA

कार्य विवरण	आवेदन प्रारंभ करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि	प्रवीणता सूची/ प्रावधिक आवंटन सूची	संबंधित विभाग में रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि
प्रथम चरण	आवेदन प्रारंभ – 11 जून 2017 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि – 24 जून 2017	26 जून 2017	30 जून 2017
प्रथम चरण के प्रवेश पश्चात रिक्त रह गये स्थानों के विरुद्ध द्वितीय चरण	आवेदन प्रारंभ – 20 जुलाई, 2017, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि – 25 जुलाई, 2017	28 जुलाई, 2017	31 जुलाई, 2017 सायं 5 बजे तक

नोट :-

- द्वितीय चरण के प्रवेश पश्चात रिक्त रह गये स्थानों के विरुद्ध तृतीय चरण प्रवेश हेतु अलग से प्रवेश कार्यक्रम जारी किये जावेंगे।
- उपरोक्त संकायों में प्रवेश नियम विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं संबंधित विनियामक आयोग के अनुसार होंगे। प्रवेश संबंधी नियम एवं पात्रता की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sssutms.co.in पर उपलब्ध है।
- प्रवेश आवंटन उपरांत संस्था में रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थी को अपने समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु शिक्षण शुल्क के साथ जमा करने होंगे। सत्यापन के उपरांत मूल दस्तावेज संबंधित अभ्यर्थी वापस प्राप्त कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

- आवेदन पत्र के साथ रु. 100/- का शुल्क देय होगा जो कि नॉन रिफंडेबल (वापसी योग्य नहीं) होगा।
- प्रवेश आवंटन उपरांत संस्था में रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थी को अपने समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज सत्यापन एवं न्यूनतम रु. 1000/- आंशिक शिक्षण शुल्क के रूप में जमा करने होंगे।
- प्रवेश निरस्त कराने हेतु अभ्यर्थी अंतिम तिथि से 15 दिन पूर्व लिखित में आवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें। ऐसे अभ्यर्थी जमा किए गए शुल्क में से 10 प्रतिशत राशि की कटौती (मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार) के पश्चात शेष राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
- निर्धारित तिथि के उपरांत प्रवेश निरस्त कराने हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी (मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार) जमा किए गए शुल्क (काशन मनी छोड़कर) की राशि वापस प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

